

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी

श्री बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी

1. श्रीमति कैलाशीबाई पत्नी बंशीलाल गवारिया निवासी बड़ीसादडी तह. बड़ीसादडी

– वादीया

बनाम

1. श्रीमति तुलसी पत्नी खीमा मेघवाल निवासी लिकोडा तह. बड़ीसादडी
2. श्री हिम्मतलाल उर्फ किशन पिता रामेश्वर मेघवाल निवासी लिकोडा तह. बड़ीसादडी
3. श्री सम्पत पिता रामेश्वरलाल मेघवाल निवासी लिकोडा तह. बड़ीसादडी
4. श्री निलेश कुमार पिता रामेश्वरलाल मेघवाल ना.बा. सरक्षक जरिये माता पारसबाई पत्नी स्व. रामेश्वरलाल मेघवाल निवासी लिकोडा तह. बड़ीसादडी
5. श्रीमति पारसबाई पत्नी रामेश्वरलाल मेघवाल निवासी लिकोडा तह. बड़ीसादडी
6. श्री भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादडी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 25/2019 वाद पत्र (जी.सी.एम.एस नम्बर 2019/00025) अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाकर निम्न प्रकार डिग्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

1. श्रीमति कैलाशीबाई पत्नी बंशीलाल गवारिया निवासी बड़ीसादडी के रहेगी।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1076/529/1	0.22	4.18

2. श्रीमति तुलसी पत्नी खीमा 3/4 हिम्मतलाल उर्फ किशन सम्पत निलेश कुमार ना.बा. पिता रामेश्वरलाल मेघवाल पारसबाई पत्नी रामेश्वरलाल मेघवाल 1/4 निवासी लिकोडा तह. बड़ीसादडी

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1076/529/2	0.44	8.36

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादडी

कमांक/राजस्व/2023/

दिनांक:-

मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादडी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना कर रिपोर्ट पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादडी

